

बिहार सरकार
उद्योग विभाग
राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्यट सचिवालय
द्वितीय तल, विकास भवन, बेली रोड, पटना

सं० सं०-एन०आई०पी०सी०२०१७०३४२
सं० सं०

दिनांक-

महालेखाकार (ले० एवं इ०),
बिहार, पटना।

विषय- मेसर्स श्री मारुति एगो फूड प्रोडक्ट, पटना द्वारा दीदारगंज, पटनासिटी, पटना में पास्ता, सेवई, क्रैम्स
ईकाई की स्थापना हेतु टर्म लोन पर ब्याज अनुदान के रूप में कुल रू० 4,87,210/- (मात्र चार
लाख सत्तासी हजार दो सौ दस रूपए) के अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश
महाशय

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि मेसर्स श्री मारुति एगो फूड प्रोडक्ट, पटना द्वारा दीदारगंज,
पटनासिटी, पटना में पास्ता, सेवई, क्रैम्स ईकाई की स्थापना संबंधी प्रस्ताव में राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्यट की बैठक
दिनांक 07.08.2017 को स्टज-1 तथा दिनांक 04.09.2017 की बैठक में द्वितीय प्रोत्साहन विलयरेन्स प्रस्ताव पर सहमति
प्रदान की गई है। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली-2016 के नियम- 7 (2) (i) में निहित प्रावधान के
अंशों में प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन भी प्राप्त है। यह ईकाई खाद्य प्रसंस्करण के अंतर्गत प्राथमिकता
श्रेणी में है।

2. बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के अंतर्गत ईकाई के उत्पादन में जाने की बाद ही
अनुदान देना है, अतएव राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्यट सचिवालय के कार्यालय आदेश ज्ञापक SIPB201700342/1406,
दिनांक 23.10.2016 के द्वारा श्री राजीव कुमार, सलाहकार, खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, बिहार, पटना एवं महाप्रबंधक,
जिला उद्योग केंद्र, पटना से उक्त ईकाई का स्थल निरीक्षण कराया गया। उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए स्थल
निरीक्षण प्रतिवेदन में ईकाई को दिनांक 17.10.2017 से कार्यरत बताया गया है। ईकाई बिहार औद्योगिक निवेश
प्रोत्साहन नीति, 2016 के अंतर्गत अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र है।

3. ईकाई को पूर्व में 30 जून, 2018 तक ब्याज अनुदान के रूप में कुल रू० 8,82,944/- (मात्र आठ
लाख सत्तासी हजार नौ सौ बीबालिस रूपए) दिया जा चुका है।

4. ईकाई को द्वितीय किरत के रूप में 01 जुलाई, 2018 से 31 दिसम्बर, 2018 तक ब्याज अनुदान के
रूप में कुल रू० 4,87,210/- (मात्र चार लाख सत्तासी हजार दो सौ दस रूपए) के अनुदान की स्वीकृति निम्न शर्तों
के साथ प्रदान की जाती है-

(i) ईकाई न्यूनतम 5 वर्षों तक कार्यरत रहेगी। यदि 5 वर्षों के अंदर ईकाई बिना किसी औचित्य और
सक्षम कारण के बंद होती है तो भुगतान की गई अनुदान की राशि 18% चक्रवृद्धि ब्याज के साथ वसूल की जाएगी।

(ii) ईकाई द्वारा अनुदान प्राप्ति के पश्चात् 5 वर्षों तक स्थापित मशीन-उपकरण, आधारभूत संरचना, भूमि
की बिक्री/ लीज/ हस्तांतरण किसी अन्य को नहीं किया जाएगा।

(iii) अनुदान की गणना में बूटि पाए जाने पर अनुदान की राशि वसूल कर ली जायेगी।

(iv) ईकाई द्वारा अनुदान प्राप्ति हेतु झूठी उदघोषणा किए जाने, उपलब्ध कराए गए कागजात के भविष्य में
गलत पाए जाने पर भुगतान की गई अनुदान की राशि भुगतान की तिथि से 18% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के साथ
वसूल की जाएगी।

(v) यदि ईकाई के द्वारा निर्धारित समय पर राशि वापस नहीं लौटाई जाती है तो राज्य सरकार द्वारा
Public Demand Recovery Act के अंतर्गत ब्याज सहित उक्त राशि की वसूली नू-राजस्व के बकाये के रूप की
जाएगी।

5. उक्त राशि का व्यय वहन राज्यवादेश सं०-2060, दिनांक-11.08.18 एवं आवंटनवादेश सं०-5(1)-

(B)Allotments-16/2018, Order No.-1480 dated-13.06.2018 के आलोक में मुख्य शीर्ष 2852 उद्योग, उप मुख्य शीर्ष

80-सागरान्य, लघु शीर्ष 102-औद्योगिक उत्पादकता, मॉग संख्या 23, उप शीर्ष 0160-पी प्रोडक्सन एवं पोस्ट प्रोडक्सन

सुविधाओं की योजना, विवरण क्र० 23-2852801020160, विषय शीर्ष 0160.33.01 सस्लिडी नद में कालू वितीय वर्ष

2018-19 के बजट में उपबंधित राशि से विकल्पनीय होगा।

कृपया पृष्ठ-2

6. इस राशि के निकासी एवं अध्यन पदाधिकारी सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, उद्योग निदेशक, बिहार, पटना होंगे।
7. इस राशि की निकासी नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से होगी।
8. इस राशि की निकासी पूर्व प्राप्ति रसीद पर बी० टी० सी० फार्म-26 पर की जाएगी।
9. इस राशि का भुगतान श्री सारुति एग्री फूड प्रोडक्ट, पटना को उनके बैंक ऑफ ब्रह्मदा, पटना में खाता संख्या-00030200001228, IFS Code-BARB0PATNAX में RTGS के माध्यम से की जाएगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

80/-

(पंकज कुमार सिंह)

उद्योग निदेशक

-सह-

सदस्य सचिव, एस०आई०पी०बी०,
बिहार, पटना।

दिनांक-

ज्ञापक-एस०आई०पी०बी०२०१७००३४२.....

प्रतिलिपि-कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

80/-

उद्योग निदेशक

-सह-

सदस्य सचिव, एस०आई०पी०बी०,
बिहार, पटना।

दिनांक-

ज्ञापक-एस०आई०पी०बी०२०१७००३४२.....

प्रतिलिपि पित्त विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनाार्थ प्रेषित।

80/-

उद्योग निदेशक

-सह-

सदस्य सचिव, एस०आई०पी०बी०,
बिहार, पटना।

दिनांक- 05.03.19

ज्ञापक-एस०आई०पी०बी०२०१७००३४२...../284

प्रतिलिपि- महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, पटना को सूचनाार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना को दो प्रतियों में / ✓ बी० टी० प्रत्येक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/ मैसर्स श्री सारुति एग्री फूड प्रोडक्ट, पटना को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उद्योग निदेशक

-सह-

सदस्य सचिव, एस०आई०पी०बी०,
बिहार, पटना।